न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –110/2017
(आरसीएमएस – 2017/00131)

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
सुमेरसिंह पुत्र लिखमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी नारवा खुर्द तहसील खींवसर जिला नागौर		तहसीलदार खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 26-04-2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 19/2017 सरकार बनाम सुमेरसिंह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.09.2017 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया तहसीलदार खींवसर द्वारा अपीलांट को ग्राम नारवा खुर्द के खसरा नम्बर 423 कटाण रास्ते की एक बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी होने का भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि अपीलांट ने खसरा संख्या 423 की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। खसरा संख्या 423 रास्ता खुला है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध खसरा संख्या 423 की एक बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होना मानकर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल करने तथा अपीलांट पर एक रूपये शास्ति अधिरोपित करने के आदेश पारित किये।

अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित तथा बिना क्षेत्राधिकार के है। अपीलान्ट ने खसरा संख्या 423 की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और न ही रास्ते की भूमि को अवरोधित, बाधित या बन्द ही किया है। रास्ता नोटिस देने से पूर्व भी खुला था और खसरा संख्या 423 का रास्ता आज दिन भी खुला है। असल में पटवारी हल्का ने खसरा संख्या 427 के खातेदार से मिलावट कर खसरा संख्या 427 के खातेदार को खसरा संख्या 423 व अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 428 में सें नया रास्ता दिलाने के लिए अपीलांट के विरूद्ध खसरा संख्या 423 पर अतिक्रमण होने की झूठी रिपोर्ट तहसीलदार खींवसर को प्रेषित कर अपीलांट के विरुद्ध धारा की 91 की गलत व अवैध कार्यवाही आरम्भ करवा दी।

खसरा संख्या 427 के खातेदार का आने जाने का रास्ता पीढ़ीयो से पूर्व तरफ चल रहे कटाण रास्ते से होकर रहता रहा है मगर कई सालो से खसरा संख्या 427 को कास्त नहीं करने के कारण पूर्व तरफ के खातेदारो ने 427 में आने जाने के रास्ते को बन्द कर दिया। अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 428 व 427 के बीच लगभग चार फुट चौड़ी माठ उत्तर से दक्षिण तक आई हुई है जिसमे से पूरे उत्तर से दक्षिण तक आधी चौड़ी माठ अपीलान्ट की है जिसको शामिल करने पर अपीलान्ट की भूमि खसरा संख्या 428 का नाप 1 बीघा 4 बीस्वा होता है। बाकी आधी माठ खसरा संख्या 427 के खातेदार

कलक्टर, नागौर

की है। मगर फर्द मौका बनाते समय पटवारी ने खसरा संख्या 427 का कोना खसरा संख्या 423 के चिपते होने का सर्वथा झूठा कथन फर्द मौका रिपोर्ट में किया है। खसरा नम्बर 427 का कोई कोना खसरा संख्या 423 से नहीं लगता है बीच में अपीलान्ट की दो फुट चौड़ी माठ आती है। इस तथ्य को जानबुझकर पटवारी ने नजरअन्दाज किया है तथा खसरा संख्या 427 के खातेदार को नाजायज फायदा पहुंचाने की गरज से अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 428 में लगभग दस फुट चौड़ी भूमि में नया रास्ता धारा 91 की कार्यवाही की आड़ में खोलना चाहते है जिसकी अनुमति पटवारी हल्का व अधीनस्थ न्यायालय को नहीं दी जा सकती। धारा 91 की आड़ में अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि में जो नया रास्ता बनाया जाना है उसे अपील के साथ संलग्न नक्शे में अ ब स चिन्ह से चिन्हित कर दिखाया जा रहा है। धारा 91 की कार्यवाही से नक्शे में दर्ज किसी कटाण रास्ते की मौके पर चौड़ाई नहीं बढ़ाई जा सकती और न ही किसी व्यक्ति के खातेदारी की भूमि में धारा 91 की कार्यवाही की जा सकती है।

अपीलान्ट को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 428 की पूर्वी माठ जहां तक अपीलान्ट की है वहां पर अपीलान्ट को तारबन्दी व मेठ बन्दी करने का अधिकार है। अपनी खातेदारी की भूमि की सीमा पर तारबन्दी मेठबन्दी करने के संबंध में धारा 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपीलांट को धारा 91 का नोटिस दिया गया उसके पीछे नक्शा बनाकर अपीलान्ट को अतिक्रमण दर्शाया है वैसा अतिक्रमण अपीलान्ट ने कभी नही किया था। अपीलान्ट को धारा 91 को नोटिस दिया उसमें भी खसरा संख्या 427 के खातेदार का रास्ता बन्द करने की सूचना नहीं थी। स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय व पटवारी धारा 91 की आड़ में खसरा संख्या 427 के खातेदार को नाजायज फायदा पहुंचाना चाहते है और नया अनुतोष देना चाहते है जिसका अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। न्यायालय की कार्यवाही बिना क्षेत्राधिकार की होने से भी अपास्त योग्य है। मामला किसी भी सूरत में धारा 91 की परिधि में नहीं आता है। पटवारी की मौका रिपोर्ट सर्वथा गलत, झुठी व मिथ्या है। मौके पर आये बगैर तैयार की हुई है। अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में बनाई हुई है। ऐसी रिपोर्ट किसी निर्णय का आधार नहीं बन सकती। रिपोर्ट मौके के विपरित है।

अतिक्रमण व रिपोर्ट के समर्थन में पटवारी के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं हुए। पटवारी के बयान नहीं होने से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं मिला व जिससे पटवारी की रिपोर्ट की सत्यता बाबत सही तथ्य सामने नहीं आ सके, का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.एल. डब्लू–1995(1) (एस.सी.) पेज–117, आर.आर.डी. मार्च,2002 पेज 132 न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त गै.मु. रास्ते की भूमि पर तारबन्दी व मेडबन्दी कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का नारवा कंला की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दिनांक 28.8.17 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का नांरवा कलां से रास्ते का सीमाकंन कर रिपोर्ट चाही जाने पर पटवारी हल्का नांरवा कलां की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29.8.17 के अनुसार पटवारी हल्का नारवा कंला व भू अभिलेख निरीक्षक पांचला सिद्धा व अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों की मौजूदगी में उक्त वादग्रस्त रास्ते का सीमांकन जरीब चलाकर बताया गया तथा मौके पर खसरा नं0 423 पर की गई तारबन्दी व पट्टीयां को हटाने को कहा गया। मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत होना बताया। अपीलान्ट द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

कलक्टर, नागौर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट सुमेरसिंह द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर के न्यायालय में खसरा नम्बर 620 के उत्तरी माठ में या खसरा संख्या 620 के किसी हिस्से में किसी प्रकार का नया रास्ता कायम नहीं करने तथा मौके राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति तथा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या–94/2017 सुमेरसिंह बनाम राज0 सरकार वगैरह में सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर द्वारा दिनांक 10.8.17 को जबाब टी.आई. पेश होने तक विवादित मौके पर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर का आदेश दिनांक 10.08.17 जो खसरा नम्बर 620 से संबंधित है, जबकि हस्तगत अपील में विवादित भूमि के खसरा नम्बर 423 है, इसलिए सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर का उक्त आदेश हस्तगत अपील में प्रभावी नहीं है। मा0 सिविल न्यायालय का उक्त आदेश हस्तगत अपील में प्रभावी नहीं होने का कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का नारवा कंला द्वारा ग्राम नारवा खुर्द के खसरा नम्बर 423 रकबा 0.01 बीघा गै.मु. रास्ता की भूमि पर तारबन्दी व मेडबन्दी कर अपीलान्ट द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक पांचलासिद्धा से जॉच शुदा रिपोर्ट दिनांक 17.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में प्रकरण संख्या 19/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। अपीलान्ट ने मय अपने अधिवक्ता के अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 28.8.2017 को जबाब प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का नांरवा कलां से रास्ते का सीमाकंन कर रिपोर्ट चाही गई। उक्त संबंध में पटवारी हल्का नांरवा कलां की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29.8.17 के अनुसार पटवारी हल्का नारवा कंला व भू अभिलेख निरीक्षक पांचला सिद्धा व अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों की मौजूदगी में उक्त वादग्रस्त रास्ते का सीमांकन जरीब चलाकर बताया गया तथा मौके पर खसरा नं0 423 पर की गई तारबन्दी व पट्टीयां को हटाने को कहा गया। मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत होना बताया। अपीलान्ट द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण मौका दिया गया तथा अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर पुनः पटवारी हल्का नारवां कलां से रास्ते का सीमांकन करवाया गया, जिसके संबंध में पटवारी हल्का नारवांकला द्वारा उपरोक्तानुसार मौका पर्चा रिपोर्ट 29.8.2017 तैयार की गई, जिसके अनुसार भी अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त राजपैरोकार के उपर्युक्त कथनानुसार सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर का मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का उक्त तथाकथित आदेश दिनांक 10.08.17 जो खसरा नम्बर 620 से संबंधित है, जबकि हस्तगत अपील में विवादित भूमि के खसरा नम्बर 423 है, इसलिए सिविल न्यायाधीश महोदय नागौर का उक्त आदेश हस्तगत अपील में प्रभावी नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत मामले में हूबहू चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर